

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

प्रेषित,

सचिव,
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम,
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

पत्रांक 878 / उमि0बैठक / 2023-24

दिनांक 05 अक्टूबर, 2023

विषय: श्री दलीप सिंह खेतवाल, प्रो०-श्री बागनाथ पेपर प्रोडक्ट्स, बागेश्वर द्वारा नई एम०एस०एम०ई० नीति-2023 के संदर्भ में उद्योग मित्र की बैठक में प्रस्तुत किये गये लिखित सुझावों के संबंध में।


महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि दिनांक 26.09.2023 को सम्पन्न जिला उद्योग मित्र बैठक में श्री दलीप सिंह खेतवाल, प्रो०-श्री बागनाथ पेपर प्रोडक्ट्स, बागेश्वर द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून द्वारा निर्गत एम०एस०एम०ई० नीति-2023 के संबंध में अपने पत्र दिनांक 26.09.2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा सुझाव उपलब्ध कराये गये हैं, जिसमें उनके द्वारा दुर्गम क्षेत्रों में स्थापित 'ए' श्रेणी के वर्गीकृत जनपदों में परिवहन उपादान, जीएसटी प्रतिपूर्ति एवं विद्युत उपादान को नई उद्योग नीति में सम्मिलित किये जाने अथवा पर्वतीय क्षेत्रों हेतु पूर्ववत् एम०एस०एम०ई० नीति-2015 (संशोधित 2017 एवं 2019) को ही अग्रिम 05 वर्षों के लिए बढ़ाए जाने से पर्वतीय क्षेत्रों में स्थापित होने वाले उद्योगों का विकास होगा एवं उद्योग हेतु संजीवनी का कार्य करेगा तथा पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन रोकने में मदद मिलेगी, से संबंधित सुझाव दिये गये हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त सुझावों पर अपने स्तर से कार्यवाही करना चाहें।


संलग्नक: उक्तवत्।

भवदीया


(अनुराधा पाल)
जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

पृष्ठांकन संख्या: / उक्त / तददिनांकित।

प्रतिलिपि: महानिदेशक / आयुक्त उद्योग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


(अनुराधा पाल)
जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

SHREE BAGNATH PAPER PRODUCTS

Ghatbagar Ward, Near Police Station, Bageshwar (Uttarakhand) PIN. 263642

FLEX PRINTING, OFFSET PRINTING, BOOK, REGISTER PRODUCTION & STATIONERY, JOURNAL ORDER SUPPLIERS

Date : 26-09-2023

सेवा में,

श्रीमान जिलाधिकारी/
अध्यक्ष महोदय
जिला उद्योग मित्र बैठक।

विषय: शासन द्वारा नवीन उद्योग नीति 2023 के क्रम में सुझाव।


महोदय,

उपरोक्त क्रम में सादर अवगत कराना है कि नवीन उद्योग नीति 2023 में राज्य के दुर्गम क्षेत्रों में स्थापित ए श्रेणी के वगीकृत जनपदों में ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, जीएसटी प्रतिपूर्ति एवं विद्युत उपादान को नवीन उद्योग नीति में जोड़ा जाना या पर्वतीय क्षेत्रों के लिए पूर्ववत उद्योग नीति 2017 एवं 2019 को अग्रिम 5 वर्षों के लिए बढ़ाया जाना पर्वतीय क्षेत्रों के लिए संजीवनी का कार्य करेगा और उद्योगों को अनवरत कार्य करने में मदद मिलेगी और पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन रोकने में मदद मिलेगी।

अतः निवेदन है कि उक्त सुझावों को नवीन उद्योग नीति 2023 में सम्मिलित करने की महती कृपा कीजिएगा।

स्थान- बागेश्वर

दिनांक- 26.09.2023



(दलीप सिंह खेतवाल)

पार्टनर- श्री बागनाथ पेपर प्रोडक्ट
चैप्टर चेयरमैन, जनपद- बागेश्वर
उत्तराखण्ड इंडस्ट्रीयल वेलफेयर एसोसिएशन, देहरादून